निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /FR-124/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन उप वन संरक्षक, मसूरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

उप वन संरक्षक, मसूरी के माह 07/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अंशुमन अग्रवाल एवं गो वन्द कुमार संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री एफ.आर. खान (व0ले0प0) द्वारा दिनांक 05.12.2017 से 16.12.2017 तक श्री हिमांशु म ण लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री नवीन चन्द्र शंखधर एवं डा0 सतीश पाल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्रीमति हिना सतीय पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 13.07.2015 से 23.07.2015 तक श्री एस. के. पाण्डेय लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2013 से 06/2015 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः – मसूरी वन प्रभाग तथा इसकी सात रेंजों में वभागीय कार्यों का निर्वहन।

3. (ii) (अ) राजस्व ववरण

वगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी वभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (लाख मे)
2014-15	119.17
2015-16	108.85
2016-17	109.14

(ii)(c) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ ध क्य (+)`	बचत (-)`
	स्था पना `	गैर स्था पना`	आवंटन`	व्यय`	आवंटन`	व्यय `		
2014-15	-	-	68455000	65449000	28064180	26059142	-	5011038
2015-16	-	-	69098000	62964000	22040860	21513860	-	6661000
2016-17	-	-	69149000	68399000	20311780	17892666	-	3168114

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय राजस्व संग्रह को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव वन विभाग> अपर सचिव> प्रमुख वन संरक्षक> मुख्य संरक्षक >वन संरक्षक > उप वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में उप वन संरक्षक, मसूरी को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह 11/2015 एवं 08/2016 की राजस्व वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रस्तर-3 राजस्व के लक्ष्यों की प्राप्ति न होना।

1. कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के वर्ष 2015-16,2016-17 की कार्य योजना एव लीसा से संबन्धित अ भलेखों तथा प्रभाग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान 50000 घावों में लीसा के दोहन का कार्य कया जाना था जब क 20523 घावों पर लीसा के दोहन का कार्य कया गया है तथा 29477 घावों पर कार्य नहीं कया गया। जिससे इन घावों पर निर्धारित लीसा 884 कुंतल (29477×3 कग्रा प्रति घाव) की आमद नहीं हो पायी। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान लीसा की न्यून्तम बिक्री दर क्रमश: ₹7280 प्रति कुंतल तथा ₹4850 प्रति कुंतल थी।
   इस प्रकार 29477 घावों पर दो वर्षो में कार्य न होने के कारण ₹107.23 लाख (64.36 +42.87) की राजस्व क्षति हुई।
   उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क वषम भौगो लक परिस्थितियों के कारण सभी योग्य लीसा वृक्ष पर काम नहीं कया जा सका है। लीसा घावों के कूपो को बढ़ाने का प्रयास कया जाएगा। वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वभाग की कार्य योजना में भौगो लक परिस्थितियों को देखते हुए ही प्रभाग को 50000 लीसा कूपो पर गढ़ान का लक्ष्य दिया गया था। अत: प्रभाग द्वारा सार्थक प्रयास न करने के कारण ₹107.23 लाख की राजस्व क्षति हुई।
2. इसी प्रकार वन वभाग में प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रभाग/वृत्त के लए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित कया जाता है जिसका उद्देश्य वभाग के राजस्व में समु चत वृद् ध कर राजकोष में वृद् ध करना होता है।
   प्रभाग हेतु निर्धारित राजस्व लक्ष्यों एवं प्राप्तियों की जांच में पाया गया क प्रभाग में राजस्व प्राप्ति की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है जिसे निम्न सारणी से देखा जा सकता है-

वर्ष	राजस्व का लक्ष्य रुपए करोड़ में	राजस्व की प्राप्ति रुपए करोड़ में	प्राप्ति का प्रतिशत
2015-16	2.53	1.08	43 %
2016-17	4.83	1.09	23 %

लेखापरीक्षा में पाया गया क राजस्व प्राप्ति के वषय में प्रभाग के स्तर पर समु चत प्रयास नहीं कए गए हैं जब क इस दिशा में मुख्य स चव से लेकर प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड तथा वन संरक्षक इत्यादि से भी समय-समय पर निर्देश जारी होते रहे हैं। राजस्व लक्ष्यों की पत्रावली की जांच में यह भी पाया गया क वगत पाँच वर्षों में कभी

भी प्रभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकी है जब क इसके लए अनेक सुझाव वभागीय स्तर पर सुझाए गए हैं।

राजस्व प्राप्ति में असफलता के कारणों की ववेचना करते समय यह तथ्य प्रकाश में आया क प्रभाग में लागू कार्य योजना 2010-11 से 2020-21 में निर्दे शत होने के बावजूद कार्य योजना अव ध में कभी भी सूखे, उखड़े, रोगग्रस्त, क्षतिग्रस्त वृक्षों का पातन नहीं कया गया है जब क इसके लए कार्य योजना में स्पष्ट प्रावधान कए गए हैं तथा प इन क्षेत्रों में वृक्षों का कोई भी छपान नहीं कया जाना इस दिशा में प्रभाग की उदासीनता को दर्शाता है।

यह भी पाया गया क लीसा उत्पादन हेतु उपयुक्त पाये गए 50000 वृक्षों की तुलना में काफी कम वृक्षों से लीसा का दोहन कया जा रहा है। साथ ही हक हुकूक को निर्धारित सीमा तक न दिया जाना, वन अपराधों का समयबद्ध निस्तारण न कया जाना, जब्त प्रकाष्ठ का वक्रय न कर सकना इत्यादि अनेक कारण पाये गए जिनका निराकरण कर राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती थी परंतु प्रभाग इस दिशा में अपे क्षत प्रयास नहीं कर सका।

इस वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने बताया क रेंज अ धकारियों द्वारा बताया जाता है क प्रभाग के क्षेत्र में सूखे, उखड़े एवं रोगग्रस्त वृक्ष नहीं है एवं प्रभाग की भौगो लक परिस्थितियों के कारण लीसा का कार्य भी सभी योग्य चीड़ वृक्षों पर नहीं कया जाता है। तथा प, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क इस हेतु कार्य योजना में स्पष्ट प्रावधान हैं और कार्य योजना सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 1 लीज और अतिक्र मत भू म पर अपे क्षत' कार्यवाही न कया जाना।

वन संरक्षण अ धनियम,1980 लागू होने के उपरांत कालातीत लीज़ों के नवीनीकरण एव नई लीज़ों की स्वीकृतिहेतु भारत सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

शासनादेश संख्या-6450/14-3-930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 के अनुसार वन भू म पर स्वीकृति की जाने वाली लीज़ों के समस्त मामलों में जिला धकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाज़ार दर से वन भू म का मूल्य (प्री मयम) एव प्री मयम के बराबर धनरा श का 10 प्रतिशत वा र्षक लीज रेंट लए जाने का प्रावधान है।उक्त शासनादेश में प्रा वधानित व्यवस्था के अनुसार आरंभ में लीजधारक को वनभू म का मूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज रेन्ट के रूप में वन भू म के मूल्य का भुगतान करना होता है।

पुनः शासनादेश स. 156/77-1-2005-लीज़ों का नवीनीकरण निम्नानुसार कया जाएगा-

(i) एक हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग के लए 15 प्रति नाली (200 वर्ग मीटर) की दर से वा र्षक लीज रेन्ट लया जाएगा।

(ii) लीजधारक जिनके पास एक हेक्टेयर से अ धक वन भू म लीज पर है, उनमे जिला धकारी द्वारा सू चत वर्तमान बाज़ार दर का लीज अव ध/99 प्रोराटा मूल्य (प्री मयम) के रूप में एव प्री मयम धनरा श का एक प्रतिशत वा र्षक लीज रेन्ट लया जाएगा।

बिन्दु 3.1.4 व्यावसायिक प्रयोजन हेतु दी गयी लीज़ों के नवीनीकरण हेतु जिला धकारी द्वारा सू चत वर्तमान बाज़ार दर का लीज अव ध/99 ₹ प्रोराटा मूल्य (प्री मयम) के रूप में एव प्री मयम धनरा श का पाँच प्रतिशत वा र्षक लीज रेन्ट लया जाएगा।

कार्यालय के लीज सम्बन्धी अ भलेखो एव कार्य योजना के अवलोकन में पाया गया की लीज धारको द्वारा जिनकी लीज अव ध कई वर्षो पूर्व ही समाप्त हो गयी थी एव उनके द्वारा लीज समाप्ती या इसके पूर्व ही लीज रेन्ट देना बंद कर दिया था।

अतः उक्त लीज़ों का नवीनीकरण वभाग द्वारा नहीं कए जाने के कारण 53.923 हेक्टेयर भू म अतिक्रमण की श्रेणी में आती है।

इसी प्रकार प्रपत्र 21 के प्रोफॉर्मा 20 (a) वर्ष 2016-17 के अनुसार 233 प्रकरणो में 110.1973 हेक्टेयर भू म का अतिक्रमण कया गया है।

अतः लीज और अतिक्रमण को मलकर कुल 164.1203 हेक्टेयर भू म पर कोई भी अपे क्षत कार्यवाही नहीं की गयी ।

अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञन में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 2 डपॉज़िट वर्क पर कार्य कए जाने के बावजूद भी लीज रेंट और प्री मयम न लया जाना ₹20.36 लाख।

संख्या-156//-1-2005-500(826)/2002 देहारादून दिनांक सतम्बर 9,2005 के अनुसार पत्रांक में दी गयी दशाओ के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लए उत्तरांचल शासन द्वारा वन भू म को लीज दिया जाना उपयुक्त पाया जाएगा, उनमे शासनादेश संख्या-6450/14-9-930//77 दिनांक 2 जुलाई,1979 में उल्लि खत व्यवस्था के अनुसार जिला धकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाज़ार दर से वन भू म का मूल्य (प्री मयम) एव प्री मयम का 10 प्रतिशत वा षक लीज रेंट लया जाएगा।

जनपद देहारादून में हॉस्पिटल कम वेलनेस कॉम्प्लेक्स मालसी की पेय जल योजना की पत्रावली की जांच में पाया गया की उक्त पेय जल योजना डपॉज़िट वर्क के अंतर्गत प्रस्ता वत है, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 239.30 लाख है। इस धनरा श को अ धशासी अ भयंता (उत्तर) उत्तराखंड जल संस्थान, देहरादून द्वारा ब्रिग डयर रणवीर बरार मैक्स हाउस, ओखला III नई दिल्ली को जमा करने को पत्र प्रे षत कया था।

पत्रावली में संलगन पट्टा वलेख में केवल राजपुर क०स० -7 में 0.04935 हेक्टयर वन भू म का पट्टा वलेख निष्पादन होना था। यहाँ यह भी उललेखनीय है की पट्टा वलेख को अभी रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है।

चूँ क उक्त योजना डपॉज़िट वर्क से संबन्धित है न क शासनादेश के अंतर्गत, एंव हॉस्पिटल एक व्यावसायिक संस्था है।

अतः 0.04935 हेक्टयर भू म का जून 2016 के सर्कल रेट के अनुसार ₹1650 प्रति वर्ग मीटर की दर से निम्न प्रकार आकलन करके लीज प्री मयम एव लीज रेन्ट लया जाना चाहिए-

प्री मयम 0.04935 हैकटेयर अर्थात 493.5 वर्ग मीटर ₹1650 =₹814275

लीज रेन्ट 15 वर्ष का ₹814275*10%*15

=₹1221412.5

प्री मयम+लीज रेन्ट= 814275+1221412.5

=₹2035687.5

अतः प्री मयम और लीज रेंट ₹2035688 वभाग द्वारा वसूल नहीं कया गया।

इस संबंध में इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा अवगत कराया गया क उक्त वन भू म प्रयोक्ता एजन्सी को प्रत्यावर्तित की गयी न की हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स मलसी को प्रयोक्ता एजेन्सी जल संस्थान देहरादून जो क उत्तराखंड का वभाग है तथा सरकारी वभाग को वन भू म स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान की जाती है। शासन स्तर से जारी वज्ञप्ति उत्तरखंड जल संस्थान से लीज रेंट लए जाने की शर्त अ धरो पत नहीं है।

वभाग का उत्तर मान्य नाही है क्यों क उक्त कार्य डपॉज़िट वर्क के अंतर्गत कया गया था और जिसके लए कार्य कया गया वो एक व्यावसायिक संस्था है न क सार्वजनिक संस्था अतः उक्त संस्था प्री मयम एवं लीज रेट से लया जाना चाहिए था।
अतः प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 4 : यूकेलिप्टस वृक्षों की आयतन गणना में गलत आयतन गुणांकों के प्रयोग के कारण राजस्व क्षति ` 2.40 लाख।

वन वभाग द्वारा प्रतिवर्ष कटान योग्य वृक्षों का छपान कर वन निगम को सौंपा जाता है जिसकी रॉयल्टी, निर्धारित गुणांकों के आधार पर गणना कए गए आयतन के आधार पर, वन निगम के द्वारा वभाग को सौंपी जाती है। यूके लप्टस के आयतन की गणना उत्तर प्रदेश में प्रच लत आयतन गुणांकों के आधार पर की जाती है क्यों क इस वषय में अभी उत्तराखंड में गुणांक निर्धारित नहीं कए गए हैं।

प्रभाग की छपान कए गए वृक्षों की आयतन गणना पंजिका की जांच में पाया गया क वर्ष 2015-16 में यूके लप्टस के 249 एवं 2016-17 में 18 वृक्षों का छपान कया गया। तथा प, प्रभाग द्वारा आयतन गणना के लए तृतीय श्रेणी के गुणांक प्रयोग कए गए जो क उत्तर प्रदेश के शवा लक एवं बिजनौर वृत्त (उत्तराखंड से सटे हुए उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र) में प्रयोग कए जा रहे गुणांकों से भन्न थे जब क उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र होने के कारण यही गुणांक प्रयोग में लाये जाने थे। इस कारण से वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रभाग द्वारा गणना कया गया रॉयल्टी योग्य आयतन वास्त वक रॉयल्टी योग्य आयतन से कम आक लत कया गया जैसा की ता लका से प्रकट है।

वर्ष	पातित वृक्षों की संख्या	प्रभाग द्वारा गलत गुणांकों के आधार पर गणना कया गया आयतन मीटर^3 में	निगम द्वारा भुगतान कया गया आयतन मीटर^3 में	सही गुणांकों के आधार पर वास्त वक रॉयल्टी योग्य आयतन मीटर^3 में	वास्त वक आयतन से भुगतान कए गए आयतन का अंतर मीटर^3 में	वर्ष 2015-16 में यूके लपटस की दर रुपए प्रति घन मीटर	राजस्व हानी रुपए में
2015-16	249	258.3653	241.5725	354.1728	112.6	1833	206395.8
2016-17	18	19	18.987	37.517	18.53	1833	33965.49
योग	267						240361.29

अतः गलत गुणांकों के प्रयोग करने के कारण से प्रभाग को वन निगम से उक्त वर्षों के लए रॉयल्टी के रूप में `2.40 लाख कम प्राप्त हुआ एवं इस राजस्व की हानि हुई।

इस वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने बताया क तृतीय श्रेणी के गुणांक प्रभाग में पूर्व से ही प्रयोग में हैं तथा प इस वषय में कोई ल खत आदेश उपलब्ध नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क तृतीय श्रेणी के गुणांक प्रभाग में वास्तव में चीड़ वृक्षों के पातन हेतु कार्य योजना में मान्य कए गए हैं एवं यूके लप्टस में इनका प्रयोग करने से प्रभाग को राजस्व क्षति हुई है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर **5**: जलौनी लकड़ी का मूल्य वन निगम से वसूल न कए जाने से राजस्व हानि रुपए 0.38 लाख।

वन वभाग द्वारा प्रतिवर्ष कटान योग्य वृक्षों का छपान कर वन निगम को सौंपा जाता है जिसकी रॉयल्टी, निर्धारित गुणांकों के आधार पर गणना कए गए आयतन के आधार पर, वन निगम के द्वारा वभाग को सौंपी जाती है।

प्रभाग द्वारा वन निगम को आवंटित की गयी लकड़ी की लाटों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में 29 एवं 2016-17 में 37 लॉट वन निगम को दी गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया क इनमें से वर्ष 2015-16 की केवल 20 एवं 2016-17 की केवल 17 लॉट का त्याग पत्र[1] (सरैंडर सर्टि फकेट) ही पत्रावली में उपलब्ध है। इन उपलब्ध 37 त्याग पत्रों (2015-16 के 20 एवं 2016-17 के 17) से ज्ञात होता है क निगम द्वारा उक्त 37 लॉट में गोल चरान योग्य प्रकाष्ठ के साथ साथ कुल 114 घन मीटर जलौनी लकड़ी का भी उत्पादन कया गया जब क उत्पादित जड़ों के वषय में कोई सूचना त्याग पत्र में नहीं दी गयी थी। जालौनी लकड़ी एवं जड़ों के बदले में निगम द्वारा कोई भी रा श प्रभाग को प्रदान नहीं की गयी। प्रभाग द्वारा जारी छपान सूची/वक्रय सूची में भी जलौनी लकड़ी के वषय में कोई आकलन नहीं पाया गया एवं न ही जलौनी लकड़ी के वषय में निगम से कोई रा श प्राप्त करने के प्रयास के कोई साक्ष्य पत्रावली में मले। इससे प्रकट होता है क उक्त दोनों वर्षों की कुल 66 लॉट में से 37 लॉट में 114 घन मीटर जलौनी लकड़ी के राजस्व रुपए 38060[2] की हानि हुई। वास्त वक हानि इससे कहीं ज्यादा है क्यों क शेष 29 लॉट के त्यागपत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं जड़ों के उत्पादन का आंकड़ा भी प्रभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

इस वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने स्वीकार कया क निगम से जलौनी लकड़ी की रॉयल्टी प्राप्त नहीं की जाती है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

---

[1] पातन कार्य की समाप्ति पर निगम के द्वारा औपचारिक सूचना त्याग पत्र के रूप में दी जाती है।

[2] हानि=जलौनी की मात्रा*निगम द्वारा जड़ों के वक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत = 114 घन मीटर * 607 का 55 प्रतिशत (55 प्रतिशत इस लए लया गया है क्यों क निगम यूके लप्टस के वक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत भी वभाग को रॉयल्टी के रूप में देता है)।

भाग-2 ब

प्रस्तर- **6** प्रभाग द्वारा कम लीसा आमद उत्पादित करने पर ठेकेदारों पर अर्थदण्ड आरो पत न कया जाना ₹0.19 लाख

कार्यालय ,उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के वर्ष 2016-17 के लीसा गढ़ान की शर्तों में उल्लि खत है की निर्धारित आमद ठेकेदार द्वारा पूरी न करने पर ठेकेदार को ₹ 500 प्रति कुंतल की दर से अर्थदण्ड आरो पत कया जाएगा। वभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2016-17 में ठेकेदारो को 718 कुंतल की लीसा आमद देनी थी। परंतु ठेकेदारो द्वारा वर्ष के दौरान कुल 680 कुंतल लीसा की आमद ही दी गयी। इस प्रकार वर्ष के दौरान ठेकेदारो द्वारा 38 कुंतल कम लीसा आमद देने पर ₹500 प्रति कुंतल की दर से ₹19000 का अर्थदण्ड आरोपणीय था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क उत्पादन में ज्यादा कमी होने पर अर्थदण्ड आरो पत कया जाता है परंतु इस वषय में कोई प्रमाण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वभाग की लीसा गढ़ान की शर्तों में कम आमद पर अर्थदण्ड आरो पत करना उल्लि खत है। अतः वभाग द्वारा ठेकेदारो पर ₹19000 का अर्थदण्ड आरो पत कया जाना अपे क्षत था।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर **7: अवैध खनन एवं परिवहन पर कम अर्थदण्ड आरोपित करने से राजस्व की हानि `5.50 लाख।**

उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली 2001, जिसका प्रसार समस्त उत्तराखंड में है एवं जो राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर लागू है, के नियम 57 के अनुसार अवैध खनन पर छह माह का कारावास अथवा रुपए 25000 तक का अर्थदण्ड अथवा दोनों भी हो सकता है। पुनः, खनिजों के अवैध परिवहन को निवारित करने के उद्देश्य से बनाई गई 'उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2005 में खनिजों के अवैध परिवहन पर विभिन्न दरों पर अर्थदण्ड देय है जो कि वाहनो की भार क्षमता के अनुसार है तथा वाहन में लदे हुये खनिज की रायल्टी की गणना कर वसूली करने का भी प्रावधान करता है।

इसके अतिरिक्त, आरक्षित अथवा संरक्षित वन क्षेत्रों से वहाँ पाये जाने वाले खनिज (जिन्हें भारतीय वन अधिनियम में वन उपज के नाम से जाना जाता है) को हटाने पर अधिनियम की धारा (क्रमशः) 26 व 33 के अंतर्गत `500.00 तक का अर्थदण्ड अथवा/एवं छः माह तक के कारावास का प्रावधान है। साथ ही, अभिवहन नियमावली 2012 के नियम 28 के अंतर्गत वन उपज के बिना पास हटाने पर रुपए 10000 से रुपए 50000 तक का अर्थदण्ड अथवा/एवं दो वर्ष तक का कारावास हो सकता है।

प्रभाग के अ भलेखो की जांच में पाया गया क 22 मामलों में वभाग द्वारा अवैध खनन/परिवहन में पकड़े गए वाहनो से केवल वन अ धनियम एवं अ भवहन नियमावली के अंतर्गत रुपए 3.80 लाख अर्थदण्ड की वसूली की गयी। ले कन, लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए सभी 22 मामलों में वाहन चालकों से उत्तराखंड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के तहत अवैध खनन पर अर्थदण्ड तथा 'उत्तरांचल खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2005 के तहत अवैध परिवहन पर अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की वसूली नहीं की गयी। अर्थदण्ड वसूल न करने से वभाग/प्रभाग को राजस्व की धनरा श रुपए 5.50 लाख (22 मामले * प्रति मामले में रुपए 25000 तक अर्थदण्ड) तक कम प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त खनिज़ पर ली जाने वाली रायल्टी भी वसूली नहीं की गई।

इस वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया क प्रभाग में केवल वन अ धनियम एवं अ भवहन नियमावली 2012 के तहत ही अर्थदण्ड का आरोपण कया जाता है। इससे लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर - **1** निष्प्रयोज्य वाहनो का निस्तारण न कए जाने के कारण अवरुद्ध रा श **₹2.42** लाख।

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग,मसूरी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी निष्प्रयोज्य वाहनो की सूची का अवलोकन करने पर पाया गया की वभाग में ₹242000 मूल्य के पाँच वाहन(सूची संलग्न) निष्प्रयोज्य है।जिनके निस्तारण हेतु वभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिनका ववरण निम्नवत है।

उपभोग करने वाले अ धकारी का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर	वाहन का मॉडल	वर्तमान अनुमानित मूल्य (₹में)
वन क्षेत्रा धकारी,केम्पटी रेंज	मार्शल जीप	UP-07-L 3774	2000	70000
उप प्रभागीए वना धकारी,मसूरी वन प्रभाग	महिंद्रा बोलेरों जीप	UA-07-Q-2707	2006	100000
उप प्रभागीए वना धकारी,मसूरी वन प्रभाग	टाटा सूमों	D.L IV.3939	1998	55000
वन क्षेत्रा धकारी,मसूरी रेंज	बुलेट मोटर साइकल	U.P. 07 H 9345	1998	7000
वन क्षेत्रा धकारी,मसूरी रेंज	बुलेट मोटर साइकल	U.P. 07 L 3812	1999	10000

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने निष्प्रयोज्य वाहनो का निस्तारण कर लेखापरीक्षा को अवगत करने का असवासन दिया है।
अतः वभाग द्वारा कार्यवाही कर सू चत कए जाने की प्रतीक्षा संप्रेक्षा में रहेगी।
अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2 जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹2.97 लाख।

कार्यालय उप वन संरक्षक,मसूरी वन प्रभाग,मसूरी के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया क निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनरा श	जमा धनरा श	अवशेष धनरा श
1.	श्री जगमोहन जवांठा	रेंज अ धकारी	50000	0	50000
2.	श्री अनूप राणा	रेंज अ धकारी	50000	20000	30000
3.	श्री राजेंद्र रावत	रेंज अ धकारी	50000	12000	38000
4.	श्री पूनम कैन्थोला	रेंज अ धकारी	50000	0	50000
5.	श्रीमती शप्रा शर्मा	रेंज अ धकारी	50000	0	50000
6.	श्री सुभाष वर्मा	रेंज अ धकारी	50000	0	50000
7.	श्री जगमोहन संह सजवाण	वन दरोगा	10000	4000	6000
8.	श्री संसार संह पँवार	वन दरोगा	10000	4000	6000
9.	श्री गजेंद्र दत्त गोड़	वन दरोगा	10000	5000	5000
10.	श्री राजेंद्र संह रावत	वन दरोगा	10000	4000	6000
11.	श्री दर्शन संह गुसाई	वन दरोगा	10000	4000	6000
योग					**297000**

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा जमानत जमा प्राप्त कर लेखा परीक्षा को सू चत कए जाने का आस्वासन दिया गया है।

STAN

प्रस्तर-3 वभाग में स्वीक्रत पद के सापेक्ष अ धक वन दरोगाओ की तैनाती के कारण प्रतिमास अनिय मत व्यय ₹9.77 लाख।

कार्यालय उप वन संरक्षक,मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वभाग में वन दरोगा के 26 पद स्वीक्रत है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 45 पद तैनात है। इस प्रकार वभाग में स्वीक्रत पद के सापेक्ष 19 वन दरोगा अ धक तैनात है। माह मार्च,2017 की समाप्ति तक कुल प्रतिमास ₹977102 का वेतन (सूची संलग्न) अ धक तैनात कर्मचारियों पर व्यय कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने उत्तर दिया क संबन्धित वन दरोगाओ की पदोन्नति यही पर हुई है तथा जिसके पश्चात इनका ट्रान्सफर नहीं हुआ है। वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क अ धक तैनात वन दरोगाओ के ट्रान्सफर हेतु वभाग द्वारा प्रयास कया जाना चाहिए था।

अतः अनिय मत व्यय ₹ 977102 का प्रकरण उच्च अ धकारियों की संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय से संबन्धित
भाग-2 ब

प्रस्तर-8 सक्षम प्रा धकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त कए बिना कार्यों को पूर्ण कराया जाना **₹45.12** लाख।

उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के बिन्दु 43 (ग) के अनुसार कोई कार्य को तब तक प्रारम्भ न कया जाए जब तक क सक्षम प्रा धकारी से प्राक्कलन के आधार पर प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्राप्त न कर ली गयी हो।
कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के वर्ष 2015 -16 एव 2016-17 के अ भलेखों की जांच में पाया गया क प्रभाग द्वारा निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लए सक्षम अ धकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्रभाग द्वारा ₹4512100 की लागत के 21 निर्माण/मरम्मत कार्यो को बिना सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृति के सम्पन्न करा दिये गए तथा संप्रेक्षा ति थ (दिसम्बर 2017) तक प्रभाग को उक्त कार्यों की स्वीकृति सक्षम प्रा धकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क कार्यों की स्वीकृति के लए कार्योत्तर स्वीकृतियाँ सक्षम अ धकारियों को प्रे षत की गयी है तथा वषय उच्च स्तर पर लंबित है।
अतः सक्षम प्रा धकारी द्वारा ₹4512100 की स्वीकृति प्राप्त कए बिना ही कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर 9: लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय रुपए ₹48.25 लाख।

वभाग में प्रच लत कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पष्चात भूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

प्रभाग के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के <u>प्रथम वर्ष</u> उपचार तथा उन्मूलन हेतु 180 हेक्टेयर, 475 हेक्टेयर एवं 310 हेक्टेयर का चयन कया गया जिन पर क्रमशः ₹ 9.0 लाख, ₹ 23.75 लाख तथा ₹ 15.50 लाख का व्यय किया गया है। इन क्षेत्रों के द्वितीय वर्ष उपचार हेतु कोई व्यय कया हुआ नहीं पाया गया जिससे स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर कये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की परिस्थितिकी को प्रभा वत करेगा। अतः, प्रभाग द्वारा 2014-15 से 2016-17 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तक जारी न रखने के फलस्वरूप ₹ 48.25 लाख का व्यय निष्फल रहा।

इस वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया कि जिन क्षेत्रों में लेन्टाना उन्मूलन का कार्य किया गया उन क्षेत्रों के वन क्षेत्राधिकारियों ने अगले वर्षों के वार्षिक कार्य योजना में इस हेतु सूचना नहीं दी जिससे यह माना गया कि उन क्षेत्रों में अब लंटाना उगने की संभावना नहीं थी।

प्रभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह पूरे विभाग में प्रचलित कार्य पद्धति के विपरीत है।

अतः ₹ 48.25 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 4: ₹ 29,38,133 मूल्य की **सेवाओं की अनियमित प्राप्ति।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओ हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए।

प्रभाग के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 गर्ग कांट्रैक्ट सर्विसेज द्वारा जुलाई 2015 से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 07/2015 से 03/2017 तक ₹ 29,38,133 का भुगतान किया गया है। इस सेवा प्रदाता से सेवा प्राप्ति बिना निविदा/कोटेशन के तथा बिना किसी अनुबंध के कर लिया गया है जबकि सेवा प्रदाता का चयन करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के अंतर्गत निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

बिना नि वदा कए सेवा प्रदाता के मनमाने चयन का प्रभाव जानने के लए लेखापरीक्षा ने गर्ग स र्वसेज द्वारा प्रदान की जा रही मानव शक्ति की दरों की तुलना प्रदेश सरकार के ही सेवा प्रदाता (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम ल मटेड- उपनल), जो क इस प्रभाग में भी जून 2016 से सेवा प्रदान कर रहा है, की दरों से की और यह पाया क गर्ग स र्वसेज की सेवाएँ समान अव ध में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम ल मटेड (प्रदेश सरकार का सेवा प्रदाता) द्वारा प्रदान की गयी समान सेवाओं की तुलना में 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक महंगी हैं एवं इस महंगाई का मूल कारण यह था क गर्ग सेवाएँ ईपीएफ़ मद में 25.36 प्रतिशत एवं सेवा शुल्क 7 प्रतिशत की दर से चार्ज करता है जब क उपनल की संगत दरें मात्र 13.36 प्रतिशत एवं 2.5 प्रतिशत थीं। चूं क उक्त 10 मासों में (जून 2016 से) 10 कर्मचारी गर्ग स र्वसेज से लए गये अतः इस अव ध में उपनल की तुलना में रुपए 1,44,660 (10 कर्मचारियों का गर्ग का पेमेंट माइनस 10 कर्मचारियों का उपनल का पेमेंट कुल 10 माह के लए) अ धक का भुगतान गर्ग स र्वसेज को कया गया। । अतः, प्रकट होता है क गर्ग स र्वसेज की सेवाएँ लेने से न केवल उत्तराखंड अ धप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है बल्कि इससे राजकोष को हानि पहुंचाकर गर्ग सेवा प्रदाता को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा रहा है।

इस वषय में इं गत कए जाने पर प्रभागीय वना धकारी ने तथ्यों की पुष्टि की एवं बताया क उच्च स्तर के आदेशानुसार एवं कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गर्ग सेवा से मानव शक्ति प्राप्त की गयी है। इससे लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण की पुष्टि होती है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

(इस भाग में वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण निम्न प्रारूप में अं कत कया जाय)

<u>राजस्व से संबं धत</u> वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
54/2015-16	01	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

व्यय से संबं धतः वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
54/2015-16	-	1,2,3,
29/2004-05	-	05
04/2005-06	02	04
2008-09	-	03
2010-11	01	-
15/2011-12	-	1,2,3
37/2013-14	-	1,2

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
कोई प्रस्तर निस्तारित नही कया गया है। (अनुपालन आख्या उपलब्ध नही करायी गयी)				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

(2) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उप वन संरक्षक, मसूरी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः
   (i)
   (ii)
   (iii)
2. सतत् अनिय मतताएः **(**राजस्व एवं व्यय से संबं धत अलग अलग दर्शाएँ)

(i)
(ii)

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	डा0 धीरज पाण्डेय	उप वन संरक्षक
(ii)	डा0 साकेत बडोला	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **उप वन संरक्षक, मसूरी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।